1081DR
23/2/18

डॉ0 दिनेश शर्मा, मा0 उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण के साथ दिनांक 31–1–2018 को सायं 04:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक एन0आई0सी0 सेंटर, योजना भवन, लखनऊ में सम्पन्न वीडियो कान्फ्रेन्स का कार्यवृत्त--

OFFICE OF THE VICE-CHANCELLOR
21 FEB 2018
No. 82
LUCKNOW UNIVERSITY

OFFICE OF THE REGISTRAR
LUCKNOW UNIVERSITY

34

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण, कुलपति सम्मेलन दिनांक 06 जुलाई, 2017 में की गयी संस्तुतियों एवं पारित किये गये संकल्पों को पूर्ण किये जाने तथा विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत छात्रों तथा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के बीच समुचित संवाद स्थापित करने, उनकी समस्याओं का समाधान करने, छात्र संगठनों के बीच समुचित संवाद स्थापित करने तथा युवा शक्ति को राष्ट्र के निर्माण में नियोजित किये जाने के सम्बन्ध में समस्त कुलपतिगण केन्द्रीय/राज्य/निजी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के समस्त प्राचार्यगण को प्रेषित किये गये मा0 मुख्यमंत्री जी के पत्र दिनांक 11 जनवरी, 2018 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण से विस्तृत विचार–विमर्श किया गया।

2– अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कुलपतिगण का अभिवादन करते हुये वीडियो कान्फ्रेन्स का शुभारंभ किया गया तथा चर्चा के मुख्य बिन्दुओं की रूप रेखा प्रस्तुत की गयी। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के सम्बन्ध में शासन द्वारा लिये गये निर्णयों से अवगत कराया गया तथा परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता एवं पारदर्शिता तथा शांति–व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का पालन किये जाने की अपील की गयी। दिनांक 06 जुलाई, 2017 में की गयी संस्तुतियों एवं पारित किये गये संकल्पों को पूर्ण किये जाने के संदर्भ में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने, परीक्षाओं के परिणाम दिनांक 15 जून, 2018 तक घोषित किये जाने तथा आगामी शैक्षणिक सत्र दिनांक 10 जुलाई, 2018 से प्रारंभ किये जाने, अंकतालिकाओं को ऑनलाइन निर्गत किये जाने तथा अन्य संकल्पों को पूर्ण करते हुये आख्या प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया।

3– मा0 उप मुख्यमंत्री जी द्वारा विश्वविद्यालयवार कुलपतियों से चर्चा की गयी तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार नकल विहीन परीक्षाए कराये जाने, परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही करते हुये परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता एवं पारदर्शिता तथा शांति–व्यवस्था बनाये रखने की अपेक्षा की गयी। विश्वविद्यालयवार कुलपतिगण द्वारा भी नकलविहीन परीक्षा कराये जाने, परीक्षा केन्द्रों का निर्धारिण किये जाने, सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाये जाने, शैक्षिक प्रमाण–पत्रों को आनलाइन निर्गत किये जाने, शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोग किये जाने आदि बिन्दुओं पर अपने पक्ष प्रस्तुत किये गये। उक्त कान्फ्रेन्स में

proceedings.sit-1

DR(GA)
सम्बन्धित को प्रति भेजें
21/02/2018

Sri Neeraj ji
26.2.18

OS(GA)
26/2/18

P.T.O

विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नांकित बिन्दुओं पर निर्देश दिये गये :–

1. **परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण** :–परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के सम्बन्ध में शासन द्वारा लिये गये निर्णय के मुख्य बिन्दुओं से अवगत कराते हुये निम्नांकित अपेक्षाएं की गयी :–

(1) राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध, सहयुक्त एवं संघटक महाविद्यालयों में स्व–केन्द्र के स्थान पर यथासंभव निकटतम महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय किन्तु छात्राओं के लिये स्व–केन्द्र प्रणाली लागू रहेगी।

(2) वर्ष 2015, 2016 एवं 2017 में सचल दल एवं शिक्षा विभाग/जिला प्रशासन के निरीक्षण/पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा जिन परीक्षा केन्द्रों पर सामूहिक नकल की स्थिति पाये जाने पर परीक्षा निरस्त करने की रिपोर्ट के आधार पर पुनः परीक्षा सम्पादित करानी पड़ी हो और उन महाविद्यालयों को परीक्षा समिति/शासन द्वारा डिबार किये जाने का निर्णय लिया गया हो, उन्हें वर्ष 2018 में परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाय।

(3) महविद्यालयों की आधारभूत सूचनाओं/अवस्थापना सुविधाओं में महाविद्यालय की स्थिति, उसकी धारण क्षमता, फर्नीचर, सी0सी0टी0वी0 कैमरा, विद्युत कनेक्शन व विद्युत जाने पर इसकी वैकल्पिक व्यवस्था, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था तथा सड़क मार्ग से महाविद्यालयों के मध्य दूरी, इत्यादि को दृष्टिगत रखा जाय तथा उक्त सुविधाओं के अभाव में महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

(4) राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की पूर्ण धारण क्षमता का उपयोग करते हुए परीक्षार्थियों का आवंटन किया जाय।

(5) एक परीक्षा केन्द्र पर एक से अधिक महाविद्यालय के परीक्षार्थियों को परीक्षा हेतु आवंटित किया जाय।

(6) परीक्षा केन्द्रों पर छात्राओं की तलाशी हेतु महिला कर्मचारियों की तैनाती की जाय तथा मोबाइल फोन एवं पर्स आदि परीक्षा कक्ष में न लाये जाने के निर्देश पूर्व में ही निर्गत किये जायें।

(7) विश्वविद्यालयों के अधिकारियों द्वारा परीक्षा केन्द्रों पर अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगे होने व संचालित होने के भौतिक सत्यापन के पश्चात ही परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया जाय।

(8) संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों को चिह्नित किया जाय तथा उसकी सूची तैयार कर जिला प्रशासन को उपलब्ध करायी जाय। सम्बन्धित मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी एवं पुलिस प्रशासन के साथ बैठक कर शांति व्यवस्था सुनिश्चित कराने, सचल दस्तों का गठन किये जाने आदि पर विस्तृत विचार कर रणनीति तैयार की जाय।

2. नकल विहीन परीक्षा कराया जाना– राज्य सरकार द्वारा कृत संकल्प है कि प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा हो। परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोके जाने के सम्बन्ध में निम्नांकित अपेक्षाएं की गयी :–

(1) नवीन उपायों को खोजा जाय जैसे–उड़ाका दल में नव नियुक्त प्रवक्ताओं को लेना, प्रशासन से संपर्क कर संवेदनशील केन्द्र निर्धारित कर वहां जिला मजिस्ट्रेट से प्रशासनिक अधिकारी को केन्द्र का नोडल अधिकारी नामित कराना, बैठक कर समाचार पत्र व इलेक्ट्रानिक माध्यम से नकल न होने देने की अपील करना तथा आने वाली पीढ़ी को नकल से हो रहे नुकसान को समझाना ताकि महाविद्यालयों में ऐसे लोग सक्रिय हों जो नकल विरोधी हैं।

(2) यदि किसी केन्द्र पर यह पाया जाता है कि बोल कर या अन्य प्रकार से सामूहिक नकल करायी जा रही है तो तत्काल ऐसे केन्द्र व संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय।

(3) परीक्षा केन्द्र निर्धारण में प्रशासनिक व राजनैतिक प्रभाव न माना जाय।

(4) खराब छवि के लोग परीक्षा कार्य में न लगाए जायें।

(5) परीक्षा समाप्ति के बाद एक घण्टे तक की वीडियो रिकार्डिंग कम से कम एक माह तक रखी जाय ताकि मांगे जाने पर उपलब्ध हो सके।

(6) वीडियो रिकर्डिंग में कोई टेंपरिंग व छेड़छाड़ न हो।

(7) परीक्षा के दौरान व एक घण्टे बाद तक अनवरत रिकार्डिंग हो।

(8) बदनाम परीक्षा केन्द्रों की सूचना ई–मेल पर अपर मुख्य सचिव/सचिव/डी0एम0/एस0एस0पी0 को पहले से दी जाय।

(9) रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय में अधिक छात्र हैं। अतः कुलपति इसकी व्यवस्था अभी से प्रारंभ कर दें।

(10) उत्तर पुस्तिकाओं की गोपनीयता सुनिश्चित करने हेतु कोडिंग की व्यवस्था लागू की जाय।

(11) परीक्षा केन्द्र निर्धारण सोच समझ कर हो ताकि परिवर्तन न करना पड़े।

(12) केन्द्र निर्धारण में जी0पी0एस0 प्रणाली का प्रयोग हो सके तो करें।

(13) सिद्धार्थनगर व बिजनौर में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं अतः अभी से संवेदनशील केन्द्रों को चिन्हित कर पुलिस प्रशासन के साथ बैठक कर ली जाय।

(14) जहां प्रबंधतंत्र का विवाद हो वह महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

3. कुलपति सम्मेलन दिनांक 06 जुलाई, 2017 में की गयी संस्तुतियों एवं पारित किये गये संकल्पों को पूर्ण किया जाना :–

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 06 जुलाई, 2017 को योजना भवन, लखनऊ में आयोजित राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण के सम्मेलन में राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा के उपरान्त लिये गये निर्णयों के अनुसार निम्नांकित बिन्दुओं पर मुख्य रूप से

कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी :–

(1) शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सभी विश्वविद्यालयों द्वारा विज्ञापन शीघ्र प्रकाशित कराया जाय।

(2) आगामी शैक्षिक वर्ष में सभी अंकतालिकायें ऑनलाइन की जायें।

(3) 15 जून तक सभी परीक्षा फल घोषित किये जायें तथा आगामी शैक्षिक सत्र को नियमित करते हुए सभी महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को 10 जुलाई, 2018 के पूर्व खोला जाय।

(4) माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर में दिनांक 10 फरवरी, 2018 को कुलपति सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उक्त सम्मेलन में दिनांक 08 जुलाई, 2017 को सम्पन्न कुलपति सम्मेलन में की गयी संस्तुतियों एवं पारित किये गये संकल्पों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही एवं कृत कार्यवाही की आख्या प्रस्तुत की जाय। अनुपालन हेतु लंबित संकल्पों के सम्बन्ध में भी विचार–विमर्श किया जाय।

4. अन्य बिन्दु–

(1) विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों, मुख्य रूप से जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर में रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने की त्वरित कार्यवाही किये जाने निर्देश दिये गये।

(2) दिनांक 22 जनवरी, 2018 को ब्रिटिश काउंसिल इंडिया द्वारा आयोजित "The Education World Forum and BETT Show, 2018" में मा0 उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश तथा अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिभाग किया गया था। उक्त कार्यक्रम के संदर्भ में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु नई तकनीक का उपयोग तथा सतत् अनुश्रवण किये जाने, इंटरनेट के प्रयोग व स्मार्ट क्लासेस का उपयोग, Amazon के साथ भविष्य में एम0ओ0यू0 हेतु Microsoft एवं Google के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर उनके द्वारा शैक्षिक क्षेत्र में किये गये कार्यों का उपयोग करने एवं विदेशी भाषा पढ़ाने हेतु साफ्टवेयर का उपयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। क्लाउड कम्प्यूटिंग में पूरे विश्व में नौकरियों की सम्भावना से अवगत कराया गया तथा क्लाउड कम्प्यूटिंग के प्रशिक्षण की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया गया। सभी विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली, शार्ट टर्म कोर्सेस, रोजगारपरक वोकेशनल कोर्सेस भी प्रारंभ कराया जाना अपेक्षित है।

(3) RUSA (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान) के अंतर्गत स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,

वाराणसी, डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में अपेक्षित व्यय न किये जाने के बिन्दु पर यह निर्देश दिये गये कि स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(4) वीडियो कान्फ्रेंस में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद तथा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलपति द्वारा प्रतिभाग नही किया गया तथा इस आशय की पूर्व सूचना भी प्रेषित नही की गयी। इस बिन्दु पर सम्बन्धित कुलपतियों का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय।

उक्त समस्त बिन्दुओं पर शीघ्र कार्यवाही किये जाने एवं प्रभावी अनुश्रवण करने की अपेक्षा के साथ बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

संजय अग्रवाल
अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 134 /सत्तर-1-2018-16(4)/2018
लखनऊः दिनांक : 16 फरवरी, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
6- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- निजी सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस आदेश को समस्त सम्बन्धित को परिचालित करें तथा अनुपालन आख्या शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायें।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(हस्ताक्षर)
(मधु जोशी)
विशेष सचिव

proceeding/L.U/c-3

OS/DR/Registrar

If agreed letter may be forwarded to following for information & n.a in this regard -
1- All Dean of Faculties L.U
2. Controller of Examination, L.U
3. Prof Rajiv Manohar, Director IQAC, L.U
4. Dean, College & Development Council, L.U
5. Director IPPR, L.U
6. Incharge Website with request to kindly mail the documents to concerned
7. One copy may be kept with file.

(signatures) 6/3/18 7.3.18 08/03